001

मध्य प्रदेश शासन
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक : एफ-11-34/2001/54-2 भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2001

प्रति,

समस्त कलेक्टर

जिला ....(म.प्र.)

विषय : वक्फ सम्पत्ति सर्वेक्षण-राजस्व अभिलेखों में वक़्फ सम्पत्ति अंकित करने बावत् ।

संदर्भ :- सर्वे वक्फ आयुक्त का पत्र क्र. ब-क/491 दिनांक 30.6.2001

1. सर्वे वक्फ आयुक्त म.प्र. भोपाल द्वारा वक्फ एक्ट 1995 को धारा-4 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जिलों में वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण कराया गया है। तथा इसका म.प्र. राजपत्र भाग 3 (1) में प्रकाशन भी हो चुका है।
2. वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण होने के उपरान्त अभी तक राजस्व अभिलेखों, खसरा, किश्तबन्दी व निस्तार पत्रक में तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सम्पत्ति कर राजस्व एवं अन्य सु-संगत अभिलेखों में वक्फ सम्पत्ति की प्रविष्टि की कार्यवाही नहीं की गई है।
3. कृपया ऐसी समस्त वक्फ सम्पत्तियों को उपरोक्त अभिलेखों में लाल स्याही से ''वक्फ सम्पत्ति (अ-हस्तांतरणीय) म.प्र. वक़्फ बोर्ड'' स्पष्ट रुप से अंकित करने की कार्यवाही करें ताकि वक्फ सम्पत्तियों को हस्तांतरित होने बचाया जा सके।

(आर.सी. स्वर्णकार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

क्रमांक : एफ-11-34/2001/54-2 भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2001

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि कृपया इस संबंध में अपनी ओर से भी प्रदेश के समस्त राजस्व अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. सर्वे वक्फ आयुक्त म.प्र. भोपाल
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. वक्फ बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर.सी. स्वर्णकार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग